स्वच्छ भारत
सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
Azadi Ka Amrit Mahotsav
G20

स्वच्छता समाचार

नवंबर 2023

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण न्यूज़लेटर

@swachhbharat @SBMGramin @SwachhBharatMissionGramin @swachh_bharat @swachhbharatgrameen

"गोबरधन पहल बायोगैस प्रणालियों को बढ़ावा देने के बारे में है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा और मिट्टी के उत्पादों में कार्बनिक कचरे का पुनर्चक्रण करके हमारी वायु, जल और मृदा की रक्षा करती है। देश भर में अधिक से अधिक बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जहां समुदाय पशु और कृषि अपशिष्ट का उपयोग कर रहे हैं। इन समुदायों ने आजीविका से लेकर स्वच्छ ईंधन तथा बेहतर स्वास्थ्य से लेकर अपने आस-पास की प्रत्यक्ष स्वच्छता तक के लाभ का अनुभव करना शुरू कर दिया है।"

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

28 अक्टूबर 2023 तक

ODF+

भारत के 4,65,685 से अधिक बसे हुए गांवों ने स्वयं को ODF Plus घोषित किया है।

- उज्ज्वल: **3,02,663**
- उदयीमान: **56,643**
- उत्कृष्ट: **1,06,379**

2,43,486 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित हुई
3,98,873 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित हुई
70 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र
725 कार्यशील बायोगैस संयंत्र
111 स्थापित बायोगैस संयंत्र
2,477 ब्लॉक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों से कवर किए गए

स्वच्छता पखवाड़ा:

अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालयों ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। 16 से 31 अक्टूबर तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और आयुष मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हुए स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया। विशेष अभियान 3.0 ने आयुष मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों और संगठनों में उत्साही स्वच्छता गतिविधियों को सुनिश्चित किया, जिससे स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण के लिए इसके 'स्वच्छता अभियानों' को 100% पूरा करने का लक्ष्य हासिल किया गया।

बेहतर अपशिष्ट संग्रह प्रणाली से कर्नाटक की कोल्लूर ग्राम पंचायत को हुई धन की बचत

कर्नाटक के यादगीर जिले में कोल्लूर ग्राम पंचायत ने पाया कि एक बेहतर अपशिष्ट संग्रह प्रणाली न केवल अवरुद्ध जल निकासी के मूल कारण का समाधान कर सकती है, बल्कि संबंधित सफाई लागत को भी कम कर सकती है जो हर साल बढ़ती हुई पाई जाती है।

कई कारक जल निकासी अवरोधों में योगदान करते हैं, जिनमें टूटे पाइप, अपर्याप्त ढलान, भारी वर्षा और अपर्याप्त रखरखाव शामिल हैं। हालांकि, गांवों में नाली अवरोध या ओवरफ्लो का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक और अन्य कचरे तथा मलबे का जमा होना है।

सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के आधार पर एंड-टू-एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रदान करने वाली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 'साहस' के शोध में पाया गया कि स्थानीय निकाय विशेष रूप से गांवों में नाली सफाई गतिविधियों पर पर्याप्त राशि खर्च करते हैं, क्योंकि अधिकांश नालियों को कवर नहीं किया जाता है। हालांकि, डोर-टू-डोर संग्रह में सुधार करके, कूड़ा डालने को कम कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नाली की सफाई पर कम खर्च हुआ था।

2019-20 में, पंचायतों ने नालियों की सफाई के लिए सिर्फ 4 लाख रुपये खर्च किए थे। हालांकि, एसबीएम-जी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम (एसडब्ल्यूएम) शुरू करने के केवल एक वर्ष के भीतर, जिसमें एक उचित संग्रह प्रणाली शामिल थी, ग्राम पंचायत को व्यय में काफी गिरावट देख कर खुशी हुई। यह लागत घटकर 2 लाख रुपये रह गई, जिसका मतलब था कि 50% की बचत हुई।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: wsrdpr@gmail.com

बिहार में एसएचएस 2023 के दौरान 266 ग्राम पंचायतों के गंगा घाटों की सफाई

बिहार के 12 जिलों की 266 ग्राम पंचायतों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 22 से 24 सितंबर के बीच गंगा नदी के तट की ओर जाने वाले अपने गंगा घाटों या नदी के किनारों की सफाई की।

गंगा गांवों में स्वच्छता अभियान के दौरान श्रमदान में नेहरू युवा केंद्र के युवाओं और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सहायता से गंगा संरक्षण के लिए कार्य करने वाले संगठनों के साथ समुदायों की भागीदारी देखी गई। उन्होंने गंगा के किनारों और घाटों को साफ किया।

अभियान से पहले, गंगा गांवों में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था जब लोगों को गंगा के महत्व – ताज़े पीने के पानी के लिए, लोगों की आजीविका के लिए और प्रकृति के बारे में जागरूक किया गया। लोग जानते थे कि नदी को एक देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसकी पवित्रता में विश्वास करने वालों के पापों को साफ करती है और मृतकों को उनके मार्ग और इसके जीवन देने वाले गुणों में सहायता करती है। गंगा के कारण लाखों हेक्टेयर भूमि में खेती संभव है, इस तथ्य पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

लोगों को प्रेरित किया गया और उनसे गंगा सफाई अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 22 से 24 सितंबर तक आयोजित श्रमदान में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: sc.iec@lsba.in

लद्दाख द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक हेतु प्लास्टिक कचरे की आपूर्ति

संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) लद्दाख ने फुटपाथ और सड़क निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक कचरे को उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रोजेक्ट हिमांक (सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)) के साथ 01 मार्च 2023 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग (यूटी लद्दाख) और मुख्य अभियंता, प्रोजेक्ट हिमांक द्वारा हस्ताक्षरित, इस पहल से लद्दाख में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे का लाभकारी उपयोग होने की आशा है। इस सहयोग से आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण प्रदूषण तथा प्लास्टिक कचरे में कमी लाने में मदद मिलेगी।

इस सहयोग के नियम और शर्तों में निर्धारित किया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से लद्दाख प्रशासन प्रोजेक्ट हिमांक के आवश्यक विनिर्देशों और मात्रा के अनुसार प्लास्टिक कचरा प्रदान करेगा और आवश्यकतानुसार इसे भेजेगा। इसके बदले, पारस्परिक रूप से सहमत एक मानक और पारदर्शी भुगतान तंत्र के माध्यम से लद्दाख को भुगतान किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, जिसे विधिवत् रूप से साफ, 5.2 मिमी या उससे कम आकार के 2 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे की प्रारंभिक आवश्यकता होगी। पहले लॉट की प्रतिक्रिया के आधार पर, अतिरिक्त प्लास्टिक खरीदा जा सकता है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: drdladakh@gmail.com

उपयोगकर्ता शुल्क द्वारा बिहार में एसएलडब्ल्यूएम प्रक्रियाओं की सुनिश्चित स्थिरता

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) की प्रगतिशील सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क शुरू किया गया है। बिहार में 4,000 से अधिक ग्राम पंचायतें (जीपी) हैं, जिनमें रहने वाले 14 लाख से अधिक परिवार स्वच्छ परिवेश के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक का अंशदान कर रहे हैं।

किसी विशेष सेवा या सुविधा को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में भुगतान की गई राशि उपयोगकर्ता शुल्क कहलाती है। उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ जाती है तथा सेवाओं की निरंतरता भी सुनिश्चित होती है। सेवा स्थिरता और परिसंपत्तियों के संचालन तथा रखरखाव की गारंटी के लिए उपयोगकर्ता शुल्क महत्वपूर्ण होता है, और यह भी सुनिश्चित होता है कि सेवा के लिए सृजित की गई संपत्ति का स्वामित्व उपयोगकर्ता को प्राप्त हो।

गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के उद्देश्य से पूरे बिहार में एसएलडब्ल्यूएम चलाया जा रहा है। घरों से ई-रिक्शा द्वारा कचरा उठाया जा रहा है और इसकी ढुलाई ग्राम पंचायत में स्थापित अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिटों में की जा रही है। इन यूनिटों में कचरे को खाद या पुनर्नवीनीकरण जैसे संसाधनों में बदला जाता है। इसके अलावा, ग्रेवाटर और मलीय कीचड़ का प्रबंधन ग्रामीण स्तर पर किया जाता है। राज्य ने ओडीएफ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दूरगामी हस्तक्षेप भी शुरू किए हैं। एक ओर जहां सृजित की जा रही एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों की लागत और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए नियोजित किए गए मानव संसाधन अभूतपूर्व हैं, वहीं दूसरी ओर उन परिसंपत्तियों को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।

इस मुद्दे का हल करने के लिए, राज्य ने निर्णय लिया कि परिवारों से बिना किसी अनिवार्यता के उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह किया जाए। प्रारंभ में, जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया और विभिन्न आईईसी गतिविधियों जैसे सामुदायिक एकजुटता, रैलियों, जुलूसों, सार्वजनिक बैठकों, संध्या चौपालों, नारा लेखन आदि के माध्यम से एक उचित अनुकूल माहौल बनाया गया।

इसके साथ ही, रूट चार्ट तैयार किया गया, कचरा संग्रह के लिए समय निर्धारित किया गया और नालियों की नियमित सफाई की गई ताकि घर-घर जाकर कचरा संग्रहण और गांव की साफ-सफाई की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। उपयोगकर्ता शुल्क शुरू करने से पहले, समुदाय को ऐसी सभी सेवाएं नियमित आधार पर प्रदान करने का आश्वासन दिया गया तथा तत्पश्चात उपयोगकर्ता शुल्क शुरू करने की बात रखी गई, जिस पर समुदायों ने सहमति जताई।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: sc.iec@lsba.in

निर्मल साथी कार्यक्रम में 8.9 लाख छात्रों की प्रतिभागिता

पश्चिम बंगाल के सभी 22 जिलों में क्रियान्वित निर्मल साथी कार्यक्रम में 12,298 विद्यालयों के 8,90,550 छात्रों ने 07 से 15 अगस्त 2023 तक भाग लिया। रैलियों, गांव स्तर की बैठकों और वॉकथॉन में भाग लेने से लेकर गांवों की सफाई और लंबे समय से पड़े कचरे को हटाने तक, सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं की उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई।

इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को अपने समुदायों के बीच साफ-सफाई और सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय-आधारित गतिविधियों के माध्यम से राजदूतों या परिवर्तनकारी एजेंटों की भूमिका निभाना था। अंतिम लक्ष्य छात्रों और उनके पड़ोसियों के परिवारों तक पहुंच कर स्कूल की सीमाओं से आगे ओडीएफ प्लस की अवधारणा के बारे में जागरूकता प्रसार करना था।

गांवों को ओडीएफ प्लस में बदलने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक ओडीएफ प्लस पहलू को कवर किया गया था, अभियान में अपशिष्ट पृथक्करण; संस्थागत स्तर/घरेलू स्तर पर खाद बनाना; एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त गांव; सूखा अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन; ग्रेवाटर प्रबंधन; तथा हाथों की साफ-सफाई सहित व्यक्तिगत स्वच्छता प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।

समुदायों के लिए विद्यालय के नेतृत्व वाली गतिविधियों में 7,218 विद्यालय-आयोजित रैलियां; 2,968 नमूना-प्रदर्शन; 3,886 लंबे समय से पड़ा कचरा हटाया और प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह अभियान; 3,130 गांव की साफ-सफाई संबंधी गतिविधियां; 1,268 नुक्कड़ नाटक, ऑडियो घोषणाएं; 20 मैराथन/वॉकथॉन; 39 लोक झांकियां; और 2,011 ग्राम-स्तरीय बैठकें शामिल थीं।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: sbmg.prd-wb@bangla.gov.in

यूपी के मिर्जापुर अजीगांव ग्राम पंचायत द्वारा मछली पालन में जैविक कचरे का उपयोग

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मिर्जापुर अजीगांव की ग्राम पंचायत (जीपी) ने एक अभिनव अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति में मछली पालन में मुख्य रूप से बचे हुए भोजन और घरों के बगीचे के कचरे से युक्त गीले कचरे का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

एरोबिक खाद की यह विधि मैगॉट्स का उपयोग करती है जो कार्बनिक अपशिष्ट सड़ने पर पैदा होती हैं। मछलियाँ आमतौर पर क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों में पाए जाने वाले लार्वा को खाकर तेजी से बढ़ती हैं और बेची जा सकती हैं।

यह उन परियोजनाओं में से एक थी जिसका दौरा संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक-एसबीएम-जी, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने हाल ही में ग्राम पंचायत में उनकी ओडीएफ प्लस उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए किया था।

मछली पालन: प्रतिकृति परियोजना 16,000 रुपये की लागत से स्थापित की गई थी। इसमें एक जगह पर पानी से भरा एक सीमेंट टैंक होता है जिसमें पर्याप्त छाया होती है। जिस टैंक में मिश्रित मछलियों का प्रजनन होता है, उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना होता है। मछली को बेचने के लिए पर्याप्त बड़ा होने में लगभग 45 दिन लगते हैं।

प्रक्रिया: मछली पालन में उपयोग किए जाने वाले कचरे को विशुद्ध रूप से जैविक होना चाहिए और इसमें कोई पुनर्नवीनीकरण या गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं होना चाहिए। टैंक के ऊपर 3-3.5 एफईटी की ऊंचाई पर एक बेड है जिस पर गाय के गोबर के घोल के साथ मिश्रित जैविक अपशिष्ट परतों में जमा होता है। इसके बाद, बेड को जूट की बोरियों या केले के पत्तों के साथ चारों ओर से कवर किया जाता है। टैंक का तल पानी से भरा होना चाहिए। जब ऊपर बेड से गिरने वाले कीड़े या मैगॉट पानी में दिखाई देते हैं, तो छोटी मछलियों को टैंक में गिराया जा सकता है। जब मछली मैगॉट्स खाती है, तो वो तेजी से बढ़ती हैं और उनका वजन भी बढ़ता है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: ajayyadav55777@gmail.com

कूड़ा-डालना: सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने के फैसले को मिली अच्छी प्रतिक्रिया

केरल सरकार द्वारा स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों (एलएसजीआई) को कचरे को अवैध रूप से फैंकने की सूचना देने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने के निर्देश ने कुछ दिनों के भीतर अच्छे परिणाम दिए हैं। व्यापक रूप से प्रकाशित व्हाट्सएप नंबरों और ईमेल का उपयोग करते हुए, सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों ने कचरे को अवैध या अंधाधुंध रूप से डालने की घटनाओं की सूचना दी है।

जनता से जानकारी की पुष्टि करने के बाद, एलएसजीआई कई स्थानों पर रिपोर्ट की गई घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुट गए। पलक्कड़, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में अवैध कचरा डालने के लिए उच्च सजा दर देखी गई है। कुल 68 मामलों में से, जिनमें सूचना देने वाले व्यक्तियों को अवैध अपशिष्ट निपटान, डालने और जलाने से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए पुरस्कृत किया गया था, इन तीन जिलों से ऐसे 38 मामले सामने आए थे।

सूचना देने वालों को पुरस्कार के रूप में कुल 1,40,450 रुपये वितरित किए गए हैं, और अब तक, 68 सूचना प्रदाताओं को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जिन मामलों में जानकारी प्राप्त की गई थी, उनकी संख्या 473 है और इन उदाहरणों में से, 421 मामलों में जुर्माना लगाया गया था, जिसमें लगाए गए जुर्माने की कुल राशि 4,041,330 रुपये तक पहुंच गई थी। अब तक 421 अपराधियों से जुर्माने के रूप में 2,655,840 रुपये की राशि एकत्र की गई है, जिनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया था।

केरल सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें एलएसजीआई को अगले साल तक राज्य को कचरा मुक्त बनाने की मांग करते हुए 'मालिन्य मुक्तम नवा केरलम' (कचरा मुक्त नया केरल) अभियान के हिस्से के रूप में अवैध कचरा डालने की विश्वसनीय सूचना प्रदान करने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने में सक्षम बनाया गया है।

फोटोग्राफ और वीडियो क्लिपिंग सहित विश्वसनीय सूचनाओं पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, राज्य भर में एलएसजीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर फेंके गए कचरे और अन्य प्रदूषकों को साफ किया।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: sanitationkerala@gmail.com

असम के हैलाकांडी जिले को मिला पीडब्ल्यूएमयू

असम में हैलाकांडी जिले के लाला ब्लॉक में एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (पीडब्ल्यूएमयू) स्थापित की गई है जो 87 गांवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि घरों और संस्थाओं में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए।

पीडब्ल्यूएमयू का उद्घाटन 10 अगस्त 2023 को जिला परिषद के सीईओ श्री जॉयदीप शुक्ला और कार्यकारी अभियंता (हैलाकांडी डिवीजन) श्री जिलास उद्दीन की उपस्थिति में जिला आयुक्त श्री निसर्ग हिवरे ने किया।

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत निर्मित, पीडब्ल्यूएमयू की कुल लागत एसबीएम-जी और 15वें एफसी दोनों से धन का उपयोग करके 22.06 लाख रुपये थी। पीडब्ल्यूएमयू और मशीनरी का सिविल निर्माण एसबीएम-जी (14.64 लाख रुपये) से लिया गया जबकि 7.42 लाख रुपये पीडब्ल्यूएमयू के बाहरी विद्युतीकरण और डस्ट रिमूवर, बेलिंग और श्रेडिंग मशीनों के संचालन के लिए आंचलिक पंचायत, लाला ब्लॉक के लिए 15वें एफसी के सशर्त अनुदान से लिए गए।

साप्ताहिक बाजारों, दुकानों आदि से एकत्र किए गए सभी बायोडिग्रेडेबल कचरे को जीपी स्तर पर एक केंद्रीकृत सामग्री संग्रह सुविधा (एमसीएफ) में खाद में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा, सभी पुनर्नवीनीकरणीय गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को स्थानीय पुनर्निर्माणकर्ताओं को बेचा जाता है जबकि गैर-पुनर्नवीनीकरण गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को पीडब्ल्यूएमयू में भेज दिया जाता है।

ब्लॉक स्तर पर, पीडब्ल्यूएमयू क्लस्टर स्तर के संघों द्वारा संचालित किया जाता है, जो आंचलिक पंचायत की देखरेख में हैं। जीपी में बचे हुए प्लास्टिक, जो काटने के लिए उपयुक्त हैं, को पीडब्ल्यूएमयू में संसाधित किया जाता है। कटे हुए प्लास्टिक को पीडब्ल्यूडी के तहत नियोजित एक स्थानीय ठेकेदार को बेचा जाता है जिसके बाद सड़क निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: sbmg.assam@gmail.com

पंजाब में गोबरधन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षण

जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, पंजाब ने पंप ऑपरेटरों और गौशालाओं के अधिकारियों के लिए एक ऑनसाइट क्षमता निर्माण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जो बायोगैस संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में सीधे तौर पर शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पटियाला के ब्लॉक समाना के गाजीपुर में सरकारी गौशाला में आयोजित किया गया था।

9 अक्टूबर 2023 को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 14 जिलों के 70 से अधिक प्रतिभागियों ने गाजीपुर गौशाला का दौरा किया।

लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के ब्लॉक विकास और प्रशिक्षण केंद्र (बीडीटीसी) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ. इकबाल सिंह ने बायोगैस संयंत्रों की तकनीकी जानकारी और संयंत्र के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

इसके बाद, डॉ. सरबजीत सिंह सोच, प्रधान वैज्ञानिक, नवीकरणीय ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने बताया कि बायोगैस संयंत्र के प्रमुख उद्देश्य दोहरे थे: गौशालाओं में मवेशियों द्वारा उत्पादित कचरे की बड़ी मात्रा का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना और स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए कचरे की क्षमता का उपयोग करना।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: cds.sanitation7@gmail.com

कर्नाटक में 'नो फूड वेस्ट डे' हस्ताक्षर अभियान का आयोजन

स्वच्छता ही सेवा 2023 के दौरान, कर्नाटक ने 'नो फूड वेस्ट डे' नामक एक अनूठा हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया, जिसके तहत लोगों को रेस्तरां, होटल और हॉस्टल में प्रदर्शित बोर्डों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी, जिसमें वे प्रतिज्ञा लेते थे कि भोजन बर्बाद नहीं करेंगे।

राज्य के एक अधिकारी ने कहा कि भूख एक वैश्विक मुद्दा है और भोजन की बर्बादी को रोकने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता ही सेवा 2023 के साथ राज्य भर में यह अभियान शुरू किया गया था।

यह कदम 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था, जिसका 2023 का विषय "खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करना: खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए कार्रवाई करना" था। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्रवाई करने, कार्यों को प्राथमिकता देने तथा बेहतर और सुलभ, खाद्य प्रणालियों को बहाल करने तथा पुनर्निर्माण की दिशा में खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करने के लिए नवाचार के साथ आगे बढ़ने का अवसर था।

इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता को बढ़ावा देना और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की बर्बादी को कम करना है। इस संबंध में, जिला पंचायतों, तालुक पंचायतों, ग्राम पंचायतों और विद्यालयों ने शून्य खाद्य अपशिष्ट हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। अभियान में रेस्तरां, होटल, छात्रावास और मैरिज हॉल जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों को भी लक्षित किया गया।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: wsrdpr@gmail.com

राज्य के झरोखे से

श्री जेके आभीर,
निदेशक, ग्रामीण विकास,
हरियाणा

हरियाणा में वॉश पहल हेतु रैंकिंग प्रणाली की शुरूआत

महात्मा गांधी के शब्द, "स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है," आज भी गूंजते हैं।

हरियाणा में, विकास और पंचायत विभाग स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर अभियान तथा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने में सबसे आगे रहा है। इन पहलों को आगे बढ़ाने में ग्राम सरपंचों की प्रतिबद्धता जमीनी स्तर पर स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण "मन की बात" का 98वां एपिसोड था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने भिवानी जिले में दुल्हेरी ग्राम पंचायत को उद्बोधित किया। इस कार्यक्रम में घर-घर जाकर कचरा संग्रह में ग्राम समुदाय के समर्पण और सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री की मान्यता ने मनोबल बढ़ाने का काम किया और स्वच्छता बनाए रखने में नागरिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।

स्वच्छ भारत मिशन (जी) की प्रगति में तेजी लाने के लिए, हरियाणा के सभी जिलों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली प्रमुख घटकों अर्थात तरल कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, गोबर-धन, मलीय कीचड़ प्रबंधन (रेट्रोफिटिंग)/टैंकरों के पंजीकरण और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों में उनके प्रदर्शन के आधार पर जिलों का मूल्यांकन करती है। इन क्षेत्रों में प्रत्येक जिले के प्रदर्शन का मूल्यांकन करके, रैंकिंग प्रणाली स्वच्छता और नागरिकों की भलाई का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह समग्र दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर शौचालय सुविधाओं तक सफाई और स्वच्छता के सभी पहलुओं को समाधान किया जाए।

एसएलडब्ल्यूएम शब्द मिलान

1. बायोडिग्रेडेबल कचरे को किस में परिवर्तित किया जा सकता है	क. बाग़वानी
2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देता है	ख. बायोगैस
3. बायोगैस का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है?	ग. चक्रीय अर्थव्यवस्था
4. शोधित ग्रेवाटर का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है?	घ. एकल उपयोग प्लास्टिक
5. प्लास्टिक कचरे का उपयोग किसमें किया जा सकता है?	ङ. खाद
6. यह खाना पकाने के ईंधन के सबसे साफ रूपों में से एक है।	च. खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था
7. पैकेजिंग और सेवा मदों में आम	छ. सड़क निर्माण
8. किसका उपयोग करके ग्रेवाटर का सुरक्षित रूप से शोधन किया जा सकता है?	ज. स्थल पर ही (इन-सीटू)
9. जब स्थल पर ही मलीय कीचड़ का शोधन किया जाता है	झ. सोख्ता गढ्डे
10. हम ग्रामीण भारत में कचरे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?	ञ. कम करें, पुन:उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें

उत्तर:

1- ङ, 2-ग, 3-च, 4-क, 5-छ, 6-ख, 7-घ, 8-झ, 9-ज, 10-ञ

राज्य दौरे

श्रीमती विनी महाजन, सचिव, डीडीडब्ल्यूएस और श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में संयुक्त रूप से एसबीएम-जी और जेजेएम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ प्लस उपलब्धियों और एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों की स्थिति पर चर्चा की।

बैठक में डीडीडब्ल्यूएस की ओर से अपर सचिव एवं मिशन निदेशक श्री विकास शील और संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व श्री मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त और श्री राज कुमार, मिशन निदेशक ने किया था।

इससे पहले, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, एसबीएमओजी ने ओडीएफ प्लस, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ओडीएफ स्थिरता पर जिला-वार प्रगति प्रस्तुत की। बैठक में डीडीडब्ल्यूएस और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वीसी के माध्यम से सभी डीएम और डीसी बैठक में शामिल हुए।

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में ओडीएफ प्लस उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए लखनऊ में मोहनलालगंज के विकास खंड में हुलास खेड़ा और दहियार ग्राम पंचायतों का दौरा किया। उनके साथ एसबीएम-जी यूपी के नोडल एसएन सिंह; श्री हिमांशु डीपीआरओ लखनऊ; श्री बलकार सिंह, एमडी जल निगम; और जेजेएम से मुख्य अभियंता भी थे।

जेएस एंड एमडी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मिर्जापुर अजगांव का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की और गांव में पृथक्करण केंद्र की जांच की।

स्वच्छता समाचार

सचिव की कलम से

एसबीएम-जी अभियान के कुछ बेहतरीन परिणाम वॉश के अलावा क्रॉस-कटिंग विषयों से जुड़े हैं जो जलवायु परिवर्तन, लिंग समानता और सीमान्त जैसे समावेश को सुदृढ़ बनाने में योगदान करते हैं। यह गोबरधन और अन्य ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से स्पष्ट है। मुझे यह जानकर हर्ष है कि राज्य अपनी एसबीएम-जी गतिविधियों में ऐसी गतिविधियों को शामिल कर रहे हैं, ऐसा एसएचएस अभियान के दौरान भी देखा गया था। वॉश प्रोग्रामिंग में पर्यावरणीय विचारों को शामिल करने से लचीलापन और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

श्रीमती विनी महाजन
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय

मिशन निदेशक की कलम से

ओडीएफ प्लस भारत की दिशा में हमारी प्रगति क्रमिक लेकिन नियमित रही है क्योंकि अधिक ग्राम पंचायतों ने स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों को अपनाया है जैसे कि कचरे को कम करना, पुन:उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना तथा साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में निवेश करना। एसबीएम-जी से वास्तव में अपशिष्ट संग्रह और प्रबंधन उद्योग में जागरूकता आई है। यह देखते हुए कि ठोस कचरे का गैर-जिम्मेदार प्रबंधन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में सीधे योगदान देता है, अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करने की कुंजी हमारी प्रणाली का नवीन, टिकाऊ और अनुकूलनीय होना है।

श्री जितेंद्र श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (SBM-G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए, हर महीने की 15 तारीख से पहले **swachhbharat@gov.in** अपनी प्रस्तुति साझा करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24362192 | ईमेलः arun.baroka@nic.in